राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.23(2)न्याय/2012 जयपुर, दिनांकः 21.09.2023

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2022 एवं इसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने संबंधी प्रकरण में कार्मिक (क–2/नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार विधि सहायक (हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी) से मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) के पद पर वर्ष 2012–13, मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2017–18 एवं सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2020–21 एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2021–22 की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 के अनुसार उक्त पदोन्नतियां निम्नानुसार संशोधित की जाती हैः–

कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वर्ष 2017–18

श्री गिरवर सिंह, सहायक विधि परामर्शी का वर्ष 2017–18 में विधि सहायक (हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी) से मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) के पद पर किया गया चयन निरस्त किया जाता है।

कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वर्ष 2012–13

श्री गिरवर सिंह का वर्ष 2012–13 में रिक्ति दिनांक 01.04.2012 के प्रति विधि सहायक (हाल कनिष्ठ विधि अधिकारी) से मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) के पद पर चयन किया जाता है। श्री गिरवर सिंह की वरिष्ठता वर्ष 2012–13 में मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) के पद पर पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्री रूप बसन्त शर्मा के नीचे तथा श्री दातार सिंह से ऊपर निर्धारित की जाती है।

वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2021–22

श्री गिरवर सिंह का वर्ष 2021–22 में मुख्य विधि सहायक (हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी) से सहायक विधि परामर्शी के पद पर किया गया चयन निरस्त किया जाता है।

वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2017–18

श्री गिरवर सिंह का वर्ष 2017–18 में रिक्ति दिनांक 01.04.2017 के प्रति वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर चयन किया जाता है। श्री गिरवर सिंह की वरिष्ठता वर्ष 2017–18 में सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्री रूप बसन्त शर्मा के नीचे तथा श्री दातार सिंह से ऊपर निर्धारित की जाती है।

सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2020–21

श्री गिरवर सिंह का वर्ष 2020–21 में रिक्ति दिनांक 01.04.2020 के प्रति सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी के पद पर चयन किया जाता है। श्री गिरवर सिंह की वरिष्ठता वर्ष 2020–21 में उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्री रूप बसन्त शर्मा के नीचे तथा श्री दातार सिंह से ऊपर निर्धारित की जाती है। श्री गिरवर सिंह का उप विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में दिनांक 01.04.2020 की रिक्ति के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

श्री गिरवर सिंह हाल सहायक विधि परामर्शी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के द्वारा पदोन्नति की तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

श्री गिरवर सिंह अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव